न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-146RAAJodhpur2023-70RTA225 Hadmanram ors Vs State of Rajasthan etc

01. हडमानराम पुत्र श्री छोगाराम
02. देवाराम पुत्र श्री गंगाराम, जातियान् विश्नोई,
निवासीगण- पीथावास, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।
2. भेपाराम पुत्र श्री खेताराम
3. फरसाराम पुत्र श्री भेपाराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण- पीथावास, तहसील व जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर {दक्षिण}, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2021 भेपाराम व अन्य बनाम हडमानराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री ओ.पी. राठी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री पूनाराम विश्नोई, श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो व तीन

नि र्ण य

दिनांक : 21 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2021 भेपाराम व अन्य बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

हडमानराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 04 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 271 रकबा 23.05 बीघा ग्राम पीथावास तहसील जोधपुर में आने-जाने हेतु अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 270 रकबा 12.11 बीघा में से 25 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन द्वारा अपीलांट्स के खेत में सें वैकल्पिक रास्ते की मांग सरासर गलत की गई हैं। रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन के आवागमन हेतु खसरा नं. 271 की माठोमाठ पूर्व से खसरा नं. 230 से मार्ग निकलकर खसरा नं. 267, 268, 268/1 से 271 तक पहुंचता है तथा उससे आगे भी मार्ग चलायमान है, लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा विधिविरुद्ध एवं आबादी भूमि के पास में स्थित खसरा नं. 270 की अपीलांट की खातेदारी जो 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि है, जिसमें दोनो अपीलांट का 1/2-1/2 हिस्सा निहित है, में से जबरन मार्ग की मांग की गई है। रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु हेतु मौके पर मार्ग उपलब्ध होने का तथ्य विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में भी आया हुआ है। अपीलांट्स की भूमि पर वर्तमान में कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है, लेकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसीलदार व पटवारी से मिलावट करते हुए उक्त मार्ग की दूरी खसरा नं. 230 से मार्क करते हुए 271 तक 400 फीट बतायी गई है। उक्त मौका फर्द तैयारी के वक्त अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी गई तथा एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की गई। कानूनन आबादी एवं पट्टासुदा भूमि में सें रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्तियॉ पेश कर अपीलांट्स द्वारा ग्राम पंचायत एवं पी. डब्ल्यू. डी. को पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की आपत्तियो का अलग से निस्तारण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट्स द्वारा आपत्तियॉ खारिज किये जाने के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2021 भेपाराम व अन्य बनाम हडमानराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 को खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2023/52 अनवान भुण्डाराम बनाम लिछमणराम के कायम मुकाम भवंरलाल में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 की प्रति पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को कम नुकसान हो, इस आधार पर तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 267, 268, 268/1 में सें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चलने वाला रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है तथा उक्त रास्ते की लंबाई भी अपीलाधीन रास्ते से अधिक बतायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार धारा 251-ए की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित किया है। न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 05 अप्रैल 2023 में भी अपीलाधीन रास्ते का निकटतम माना है। अपीलाधीन आदेश में वर्तमान में पालना हो चुकी है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2022{2}आर. आर.टी. पेज 1079 की न्यायिक नजीर पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तहसीलदार जोधपुर की मौका फर्द के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स संख्या दो व तीन के खातेदारी खसरा नं. 270 में आवागमन हेतु तीन वैकल्पिक मार्ग बताये गये है। उक्त तीनों विकल्पों की लंबाई क्रमशः 1185 फुट, 650 फुट तथा 400 फुट बतायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 270 में से कम दूरी वाला रास्ता{400 फीट} अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदान किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स का उज्र है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन द्वारा वर्तमान में उपयोग में लिये जाने वाले रास्ते को स्वीकृत नहीं कर अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स की भूमि में से रास्ता स्वीकृत कर दिया है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स द्वारा बताये गये रास्ते के विकल्प की दूरी अपीलाधीन रास्ते से लगभग तीन गुणा अधिक लंबा है तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे भी दर्ज नहीं है जो धारा 251-ए के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251-ए की मंशा के अनुरूप अपीलाधीन आदेश के जरिये निकटतम रास्ता प्रदान किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नजीर के मुताबिक न्यायालय हाजा द्वारा समान दूरी के रास्ते के दो विकल्पों में सें सीधे रास्ते के विकल्प के अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रेषित किया था। हस्तगत प्रकरण में समान दूरी के रास्ते के विकल्प नहीं होने तथा न्यायिक नजीर के तथ्य चस्पा नहीं होने से लागू नहीं होते हैं

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौके पर उपलब्ध निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता हैं। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2021 भेपाराम व अन्य बनाम हडमानराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.07.2023

{मंगलाराम पूनिया}

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर